न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 38/2019

1. अर्जुनलाल पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी ग्राम कुशाला का बास कालाखो तहसील दौसा जिला दौसा।

.. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा। ...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार दौसा दिनांक 27.12.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम अर्जुनलाल मु0नं0 70/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री चरणसिंह डोई, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः 21.1.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा ने दिनाक 27.12.2018 को ग्राम कालाखो तहसील दौसा के आराजी खसरा नम्बर 754/4613 रकबा 0.50 है0 किस्म सिवायचक भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की इकतरफा रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का मौका दिये एवं बिना मौके की जॉच किये पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही सही मानकर निर्णय पारित किया है। कानूनन अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिए किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रकिया का पालना नहीं करते हुए पीछे से इकतरफा आदेश पारित कर अपीलांट को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया गया। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी पत्रावली में साबित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट

धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूंठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में सिवायचक भूमि पर बाजरा काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलांट द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर खसरा नंबर 754/4613 रकबा 0.50 है0 सिवायचक भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका/बेदखली एवं फर्द फसल निलामी दिनांक 28.12. 2018 के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाना व कब्जे राज लिया जाना अंकित किया गया है। इसलिए अपीलांट के शपथ–पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2018 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

Web Copy - Not Official

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 21 जनवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा